आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर–302001, दूरभाष नं. 0141–2373904 ईमेल–scr-rj@nic.in

क्रमांकःफा/संस्था/1/1/12/भूप्रआ/2021/ दिनांकः–

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड्स) रुल्स 1957 एवं राजस्थान राजस्व (भू–अभिलेख, भू–प्रबन्ध एवं उप–निवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम 2019 के अनुसरण में आयोजित सीधी भर्ती पटवारी प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./परीक्षा/प–297/2022/31880–914 दिनांक 30.11.2022 द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग आवंटित किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 16484–754 दिनांक 02.12.2022 द्वारा पटवारी के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु पटवार प्रशिक्षण शाला (भू–प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय) आवंटित किया जाकर संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक फा/संस्था/1/1/12/भूप्रआ/2021/पार्ट/2719–48 दिनांक 15.05.2023 के अनुसरण में दिनांक 17.05.2023 को उपस्थिति देने हेतु निदेशित किया गया।

निम्न चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण अवधि विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8 (3) कार्मिक/क–2/73 पार्ट दिनांक 24.03.2022 के अनुसरण में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत परिवेदना पर विचार किया जाकर निम्नांकित अभ्यर्थियों को दिनांक 17.05.2023 से उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक कार्यग्रहण अवधि विस्तार (Extension) की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है–

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	कारण	स्वीकृत कार्यग्रहण अवधि विस्तार दिनांक	आंवटित पटवार प्रशिक्षण शाला
1	1544	3135232	श्री बृजबिहारी शर्मा	स्टेशन मास्टर पद से NOC नही मिलने के कारण	16.11.2023	भरतपुर
2	18862	3401017	श्री गजानन्द मीणा	सीमा सुरक्षा बल से NOC नही मिलने के कारण	16.08.2023	कोटा

उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण अवधि विस्तार (Extension) की समाप्ति के पश्चात पूर्व प्रसारित नियुक्ति आदेश दिनांक 02/12/2022 एवं अन्य संशोधित आदेशों के अंतर्गत परिवर्तित/आवंटित पटवार प्रशिक्षण शाला में उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बाद विस्तार अवधि कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में इनके हक में किये गये नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त कर निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अवगत करा दिया जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature valid

Digitally signed by A[illegible] Kumar Sengwa
Designation: [illegible]al Commissioner
Date: 202[illegible].05.[illegible] IST
Reason: Approved

(अ[illegible]न्द कुमार सेंगवा)
अति[illegible] आयुक्त राजस्थान,
जयपुर

RajKaj Ref No. : 3925388

Upload

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. प्रधानाचार्य, भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान एवं अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर /कोटा।
5. प्रभारी आईटी शाखा मुख्य कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. सम्बंधित नवचयनित पटवारी अभ्यर्थी श्री ....

अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान,
जयपुर

Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Kumar Sengwa
Designation : [illegible]al Commissioner
Date: 2023.05.[illegible]:33:37 IST
Reason: Approve[illegible]

RajKaj Ref No. : 3925388